

मागासवर्गीय मुलांचे शासकीय वसतिगृह,  
चिमूर, जि.चंद्रपूर या वसतिगृह इमारत  
बांधकामाच्या अंदाजपत्रकास प्रशासकीय  
मान्यता देण्याबाबत.

महाराष्ट्र शासन  
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग  
शासन निर्णय क्रमांक : बीसीएच-२०२५/प्र.क्र.१४८/बांधकामे  
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक,  
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२.  
दिनांक : २० फेब्रुवारी, २०२६.

वाचा:-

१. आयुक्त, समाज कल्याण, पुणे यांचे पत्र जा.क्र.सकआ/शिक्षण/बांधकामे/  
चिमूर/प्रस्तावित/मुलांचे/वगृ/नइबांअं/का-५अ/०२५-२६/२३२३, दि.१८.०८.२०२५.
२. उच्च स्तरीय सचिव समितीच्या दि.१३.०२.२०२६ रोजीच्या बैठकीचे इतिवृत्त.

प्रस्तावना:-

आयुक्त समाज कल्याण, पुणे यांनी सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागांतर्गत मागासवर्गीय मुलांकरीता शासकीय वसतिगृह, चिमूर, जि.चंद्रपूर या ठिकाणी प्रस्तावित नवीन इमारत बांधकामाचा प्रस्ताव वाचा क्र.१ येथील पत्रान्वये शासनास सादर केला आहे.

सदर वसतिगृह बांधकामास खालील अटीच्या अधीन राहून प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.

शासन निर्णय:-

उच्चस्तरीय सचिव समितीच्या दि.१३.०२.२०२६ रोजीच्या बैठकीत दिलेल्या मान्यतेस अनुसरून मागासवर्गीय मुलांचे शासकीय वसतिगृह, चिमूर, जि.चंद्रपूर या वसतिगृह इमारत बांधकाम रु.१८.६६ कोटी इतक्या रकमेच्या अंदाजपत्रकास सदर वसतिगृह सुरु करण्यास मान्यता मिळण्याच्या तसेच खालील अटीच्या अधीन राहून प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे:-

- अ) काम सुरु करण्यापूर्वी नमुना नकाशा, मांडणी नकाशा तसेच विस्तृत नकाशास वास्तुविशारदांकडून मंजूरी घेऊनच सुरु करावे.
- आ) ढोबळ स्वरूपात धरण्यात आलेल्या तरतूदीबाबत काम करतेवेळी विस्तृत अंदाजपत्रक करूनच काम हाती घ्यावे.
- इ) प्रत्यक्ष काम करतेवेळी पर्यावरण विभाग, शासन निर्णय क्र. इएनव्ही-२०१३/प्र.क्र.१७७/तां.क.१, दि. १० जानेवारी, २०१४ मध्ये उल्लेख करण्यात आलेल्या मार्गदर्शक तत्वांनुसार कार्यवाही करण्यात यावी.
- ई) सदर कामाच्या बांधकामाचा खर्च सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग त्यांच्याकडे उपलब्ध असलेल्या नियतव्ययामधून करण्यात यावा.
- उ) सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या शासन निर्णय क्रमांक बीडीजी २०१७/प्र.क्र.६०/इमारती-२, दि.०७.०७.२०१७ अन्वये कार्यवाही करण्यात यावी.

- ऊ) नियोजित जागा उपभोक्ता विभागाच्या ताब्यात असल्याचे प्रमाणपत्र प्राप्त करून सदर कामाच्या निविदा सूचना प्रसिध्द करण्यात याव्यात.
- ऋ) सदर वसतिगृह हे प्रस्तावित असून सदर ठिकाणी वसतिगृह मंजूर झाल्यानंतरच बांधकामाबाबतची कार्यवाही करण्यात यावी.
- ल) सदर अंदाजपत्रकास अधीक्षक अभियंता व मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नागपूर यांचे साक्षांकन आवश्यक आहे.
- ऐ) सदर वसतिगृह बांधकामाचे कार्यान्वयन यंत्रणा सार्वजनिक बांधकाम विभाग आहे.

२. सार्वजनिक बांधकाम विभागाने केलेल्या छाननीनुसार सादर केलेली Recapitulation Sheet सोबत जोडली आहे.

३. यावर होणारा खर्च मागणी क्र. एन-४, मुख्य लेखाशिर्ष ४२२५-अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि इतर मागासवर्ग यांच्या कल्याणावरील भांडवली खर्च, २७७-शिक्षण, पंचवार्षिक योजना अंतर्गत योजना-राज्य योजनांतर्गत योजना, (०१) (०३) मागासवर्गीय मुलां-मुलींसाठी शासकीय वसतिगृह बांधणे (४२२५ ०४८९), ५३-मोठी बांधकामे या लेखाशीर्षाखाली खर्ची घालून तो सन २०२५-२६ या वित्तीय वर्षात करण्यात आलेल्या अर्थसंकल्पीय तरतूदीमधून भागविण्यात यावा.

४. सदर योजनेअंतर्गत आयुक्त, समाज कल्याण, पुणे यांना नियंत्रक अधिकारी म्हणून व सहायक आयुक्त, समाजकल्याण, चंद्रपूर यांना आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे.

५. प्रस्तुत शासन निर्णय मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखालील उच्च स्तरीय सचिव समितीच्या दि.१३.०२.२०२६ रोजीच्या बैठकीत प्राप्त मान्यतेनुसार तसेच वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८, भाग-पहिला, उपविभाग-पाच अन्वये महाराष्ट्र सार्वजनिक बांधकाम नियमपुस्तिका अंतर्गत परिच्छेदाखालील प्रदान करण्यात समोरील तरतूदीन्वये प्रसासकीय विभागांना प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांच्या अधीन राहून निर्गमित करण्यात येत आहे.

६. हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या [www.maharashtra.gov.in](http://www.maharashtra.gov.in) या संकेतस्थळावर उपलब्ध असून, त्याचा संगणक सांकेतांक क्र. २०२६०२२०१९०५१५८०२२ असा आहे. हा आदेश डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,

(विवेक शिंदे)

अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन

प्रत,

- १. आयुक्त, समाज कल्याण, पुणे.
- २. प्रधान सचिव, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचे स्वीय सहायक.
- ३. मुख्य अभियंता, बांधकाम व्यवस्थापन कक्ष, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई.
- ४. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/ नागपूर.

- ॡ. ढुरादेशलक उडररुक्त, सडररकलुडरण वलडरग, नरगरडूर.
- ॢ. सहररुडक आरुक्त, सडररकलुडरण, ऑंऑरडूर.
- ॣ. ऑलुडर करुषरगरर अडलकररी, ऑंऑरडूर.
- ।. नलवऑनसुती/डरंधकरडे.



## FINAL

| Name of the Department : Social Justice and Special Assistance Department  |  |   |                   |                                |
|--|--|---|-------------------|--------------------------------|
| Name of Work : Construction of B.C. Boys Hostel Building Having 150 Students Capacity for Social Justice<br>Dept. at Chimur Dist - Chandrapur. |  |   |                   |                                |
| Executing Agency : Public Works Department   |  |   |                   |                                |
| Land Availability : Yes  |  |   |                   |                                |
| Architect : Government   |  |   |                   |                                |
| <b>RECAPITULATION SHEET</b>  |  |   |                   |                                |
| Sr.<br>No.   | Particulars of Scope   | Unit Rate Norms<br>Rs Per (Sqmt./ Meter/<br>LumpSum etc.) | Cost in Lakh      |                                |
|  |  |   | Component<br>Wise | Total                          |
| <b>(A) ESSENTIAL ITEMS (Components)</b>  |  |   |                   |                                |
| 1  | Building proper (Built Up Area - Sq.m)   |   |                   |                                |
|  | Ground Floor   | 1233.24 Sq. M   | 28,000            | 345.31                         |
|  | First Floor  | 1233.24 Sq. M   | 28,000            | 345.31                         |
|  | Second Floor   | 1233.24 Sq. M   | 28,000            | 345.31                         |
|  | <b>Total B.U.A. =</b>  | <b>3699.72 Sq. M</b>                                      |                   | <b>Sub Total (A1) 1,035.92</b> |
| 2  | Electrification  | Internal  | 5% of (A1)        | 51.80                          |
|  |  | External  | 6% of (A1)        | 62.16                          |
|  | Fire Fighting Arrangements etc.  |   | @400/Sq.mt.       | 14.80                          |
|  | CCTV   |   | L.S.              | 10.00                          |
|  | AB room, Area Lighting, Pumps, Generator   |   | L.S.              | 20.00                          |
|  |  |   |                   | <b>Sub Total (2) 158.75</b>    |
| 3  | Water Supply & Sanitary Works  |   | 5% of (A1)        | <b>Sub Total (3) 51.80</b>     |
| 4  | Furniture  | 2589.80 Sq. M   | 5,000             | <b>Sub Total (4) 129.49</b>    |
|  |  |   |                   | <b>Sub Total (A) 1,375.96</b>  |
| <b>(B) MISCELLANEOUS ITEMS</b>   |  |   |                   |                                |
|  | Compound Wall & Gate   | 250.00 Rmt  | 8,000             | 20.00                          |
|  | Water Main Storage   | 50000.00 Litres   | 23                | 11.50                          |
|  | Internal /Approach Roads, Land Development,<br>Parking, Soil Investigation, CC Drain, Land<br>Scaping Etc. |   | 4.5% of (A1)      | 46.62                          |
|  |  |   |                   | <b>Sub Total (B) 78.12</b>     |
|  | <b>Project Cost (P)= (A) + (B)</b>   |   |                   | <b>1,454.07</b>                |
| <b>(C) PROVISIONS</b>  |  |   |                   |                                |
|  | (i) Contingencies  | 4% on (sub total A1)                                      |                   | 41.44                          |
|  | (ii) GST   | 18% on (P)  |                   | 261.73                         |
|  | (iii) Price Escalation   | 5% on (P)   |                   | 72.70                          |
|  | (iv) PMC Charges   | 1.5% on (P) (Incl. GST)                                   |                   | 21.81                          |
|  | (v) Labour Insurance   | 1% on (P)   |                   | 14.54                          |
|  |  |   |                   | <b>Sub Total (C) 412.23</b>    |
|  | <b>TOTAL COST OF PROJECT (TPC) (A+B+C)</b>   |   |                   | <b>1,866.30</b>                |
|  | <b>Say in Crores</b>   |   |                   | <b>18.66</b>                   |
| 1  | Bldg Civil (A1)  | =   | Rs 28,000 /Sqm    |                                |
| 2  | Bldg Civil, Elect, Water Supply, Furniture (A)   | =   | Rs 37,191 /Sqm    |                                |
| 3  | Total (A+B)  | =   | Rs 39,302 /Sqm    |                                |

*Sd/-*  
*17/11/2016*